

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—84/2019 (2019/00218) वादपत्र

अनवान

1. रतनसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. भैरूसिंह पिता लालसिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भगवतसिंह पिता लालसिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजकवंर बेवा लालसिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. जाकिर हुसैन—

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 15.09.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 11.08.2020 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम बकाण पटवार हल्का बकाण तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण सामलाती कृषि आराजियात खाता संख्या 151 में वर्णित आराजी संख्या 7 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 8 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 9 रकबा 0.37 है0, आराजी संख्या 15 रकबा 0.45 है0, आराजी संख्या 16 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 18 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 39 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 40 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 41 रकबा 0.01 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.74 है0 भूमि में वादी का 2/5 हिस्से का कब्जे के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन करवा स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 14.09.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बकाण तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 7/2 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 8 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 9 रकबा 0.37 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.67 है0 भूमि रतनसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत सा. लखाहोली खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 15 रकबा 0.45 है0, आराजी संख्या 18 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 40 रकबा 0.11 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.00 है0 भूमि भैरूसिंह भगवतसिंह पिता लालसिंह 2/3 राजकवंर बेवा लालसिंह 1/3 राजपूत सा. लखाहोली खातेदार के नाम एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 7/1 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 16 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 39 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 41 रकबा 0.01 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.07 है0 भूमि शामलाती बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा अधिकारी

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)



मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—84/2019 (2019/00218) वादपत्र

अनवान

1. रतनसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. भैरूसिंह पिता लालसिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भगवतसिंह पिता लालसिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजकवंर बेवा लालसिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बकाण तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 7/2 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 8 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 9 रकबा 0.37 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.67 है0 भूमि रतनसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत सा. लखाहोली खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 15 रकबा 0.45 है0, आराजी संख्या 18 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 40 रकबा 0.11 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.00 है0 भूमि भैरूसिंह भगवतसिंह पिता लालसिंह 2/3 राजकवंर बेवा लालसिंह 1/3 राजपूत सा. लखाहोली खातेदार के नाम एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 7/1 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 16 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 39 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 41 रकबा 0.01 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.07 है0 भूमि शामलाती बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 15.09.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



Sundar Lal Bumboda
15-9-2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)